



## नियम एवं शर्तें

1. निविदाकार को इस बात की गारंटी देनी होगी की उपर्युक्त योजना यथा पथ/नाली/पुलिया/भवन के कार्यों की समाप्ति की तिथि से अगले 3 (तीन) वर्षों तक इसका रख-रखाव करना है, जिसके उपरान्त ही कार्य से संबंधित सुरक्षित जमा राशि जो कुल 10 प्रतिशत होगी, की वापसी की जायगी।
2. पी0 सी0 सी0 पथ ढलाई के बाद सत्तह को बोरा से ढक कर पूर्ण रूप से क्यूरिंग कराने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। ढलाई बरतने पर संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
3. संवेदक कार्य में मानक गुणवत्ता वाले सिमेंट का ही इस्तेमाल करेंगे। सीमेंट की गुणवत्ता में गड़बड़ी पाये जाने पर संवेदक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
4. पी0 सी0 सी0 पथ ढलाई, कालीकृत पथ निर्माण या अन्य प्रकार का पथ निर्माण करने के पूर्व पथ के दोनों छोरों पर बैरीयर लगाने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।
5. कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व कार्य से संबंधित पूर्ण विवरणी सूचना पट्ट पर अंकित कर कार्य स्थल पर लगाना अनिवार्य होगा।
6. संवेदक केवल पट्टा धारकों, अनुमति पत्र धारकों अथवा प्राधिकृत डीलरों से ही कार्य में प्रयुक्त होने वाले खनिज सामग्रियों की खरीदगी करेंगे तथा प्रपत्र "ओ" में शपथ पत्र तथा प्रपत्र "पी" में विवरणी संलग्न करेंगे जिसकी जाँच जिला खनिज पदाधिकारी द्वारा किये जाने के पश्चात् ही विपत्र का भुगतान होगा। ऐसा नहीं करने पर प्रयुक्त खनिज सामग्रियों के स्वामित्व को दुगुनी राशि रोक कर रखी जायगी जब तक सत्यापित विवरणी कार्यालय को प्राप्त नहीं हो जाती है।
7. पी0 सी0 सी0 कार्य का शत-प्रतिशत संपीडन आवश्यक है। इसके लिए स्थल पर नोजल एवं प्लेट दोनों भाईब्रेटर रखना होगा एवं प्रभारी अभियंता के आदेशानुसार दोनों का उपयोग आवश्यकता अनुसार करना होगा।
8. संवेदक त्रुटी पूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति एवं उपयोग तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता के लिए पूर्णतया दोषी माने जायेंगे।
9. स-शर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिमाण विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो निविदादाताओं को मान्य होगा।
10. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मुल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
11. बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।



12. निगम द्वारा बनाई जा रही का स्वीकृत पथों के लिये पथ वेलन, पानी टैंकर, टार-वॉयलर आदि मशीन एवं उपकरण की जरूरत होगी, जो निगम द्वारा संवेदक को उपलब्ध नहीं कराई जायेगी। संवेदक को स्वयं इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन उपकरणों के स्वामित्व वाले संवेदकों को निविदा आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। अगर कहीं अन्य श्रोत से इन मशीन/उपकरणों के उपलब्ध कराया जाता है तो मशीन उपकरण मालिक का लिखित शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है कि वो विषयांकित मशीन (नम्बर सहित)/उपकरण संबंधित संवेदक (नाम सहित) को निगम कार्य के लिये उपलब्ध कराने को तैयार है।
13. कार्य में स्थानीय मजदूरों का लगाना होगा एवं उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
14. जिस संवेदक का निगम में पूर्व कोई आवंटित कार्य लंबित है अथवा उनका कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है, उन्हें कार्य आवंटन पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. किसी भी संवेदक को कार्य आवंटन के उपरान्त सबलेट करना एकरारनामा शर्त का उल्लंघन माना जायेगा एवं समुचित सूचना प्राप्त होने पर एकरारनामा रद्द करते हुए संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी।
16. संवेदक को पैकड विटुमेन की खरीदारी भारत सरकार के किसी उपक्रम से स्वयम् करनी होगी तथा बिटुमिन की गुणवत्ता का प्रमाण-पत्र एवं खरीद प्रमाण-पत्र/रसीद देना अनिवार्य होगा। तद् आलोक में भुगतान हेतु निर्णय लिया जा सकेगा। कार्य में प्रयुक्त विटुमेन के खाली ड्रम को निगम के गोदाम में जमा करना होगा। खाली ड्रम वापस नहीं किये जाने पर पैनल दर से खाली बिटुमिन ड्रम का मूल्य विपत्र से काट लिया जायेगा।
17. संवेदक द्वारा किये गये कार्य का भुगतान के लिये कार्य का विपत्र सभी गुण नियंत्रण जॉच रिपोर्ट के साथ समर्पित किये जाने पर ही विपत्र को निगम द्वारा स्वीकार किया जायेगा। गुण नियंत्रण जॉच निगम द्वारा निर्धारित प्रयोगशाला से कराना होगा जिसका खर्च संवेदक को वहन करना होगा।
18. कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करना होगा। संवेदक जनित कारणों से कार्य प्रगति असंतोषजनक पाये जाने पर किसी प्रकार की समय वृद्धि नहीं दी जायेगी।
19. निविदा निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर संवेदक को एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।
20. किसी प्रकार की दर बढ़ोतरी अनुमान्य नहीं होगी।
21. जिन संवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र वर्तमान वर्ष का नहीं होगा उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र का अद्यतन शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

  
कार्यपालक अभियन्ता,  
राँची नगर निगम, राँची।